नगर पालिका, तखतगढ़

(राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

–:: अनापत्ति प्रमाण–पत्र ::–

आवेदन नं. :– LSG/TAKHATGARH/FIRENOC/2025-26/01
जारी दिनांक :– 27.07.2026

प्रेषित :–
आवेदन का नाम श्री/श्रीमती :– श्री सुधीर सिंह
आवेदक का पता :– महावीर बस्ती तखतगढ़।

विषय :– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

आपके भवन **टैगोर पब्लिक सिनियर सैकण्डरी स्कूल तखतगढ़** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तो पवर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
2. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
3. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जाये।
4. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखाना होगा
5. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
6. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
7. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
8. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
9. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
10. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेमा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
11. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
12. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फावर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए.एम. सी करवायी जाकर सिस्टम का रसख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
13. उक्त अग्निशमन प्रमाण पत्र निर्मित भवन परिसर या भूमि का नियमन के लिए अनुमोदित अथवा स्वामित्व का प्रमाण पत्र या भवन निर्माण स्वीकृति, अधिवास स्वीकृति, पूर्णतया प्रमाण पत्र अथवा भू–उपयोग परितर्थन का अनुमोदन के लिए मान्य नहीं होगा। तथा इस संबंध में नियमानुसार पृथक से आवेदन करना होगा।
14. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
15. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा हैं वहां पर रूफटॉप का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, तखतगढ़